रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032024-253122
CG-DL-E-19032024-253122

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1339] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2024/फाल्गुन 25, 1945
No. 1339] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2024/PHALGUNA 25, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2024

का.आ. 1405(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के हिंगोली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 161 (New) के कि.मी. 99.100 से कि.मी. 139.600 तक के भू-खण्ड (कनेरगाँव नाका - हिवरा बेल सेक्शन) का (बाईपासों सहित) निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, हिंगोली को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के हिंगोली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 161 (New) के कि.मी. 99.100 से कि.मी.139.600 तक (कनेरगाँव नाका - हिवरा बेल सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण |

राज्य का नाम : महाराष्ट्र			**जिले का नाम : हिंगोली**		
क्रमिक संख्या 1	**सर्वेक्षण संख्या** 2	**भूमि का प्रकार** 3	**भूमि की प्रकृति** 4	**भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)** 5	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)** 6
तालुक का नाम: हिंगोली					
गांव का नाम: मोप					
1	140	निजी	एग्रिकल्चर	0.09 (हेक्टेयर)	0.0900000
गांव का नाम: कानेर्जाओं नका					
2	184	निजी	एग्रिकल्चर	0.04 (हेक्टेयर)	0.0400000
गांव का नाम: फालेगांव					
3	144	निजी	एग्रिकल्चर	0.0175 (हेक्टेयर)	0.0175000
4	203	निजी	एग्रिकल्चर	0.01 (हेक्टेयर)	0.0100000
5	206	निजी	एग्रिकल्चर	0.033 (हेक्टेयर)	0.0330000
6	211	निजी	एग्रिकल्चर	0.05 (हेक्टेयर)	0.0500000
गांव का नाम: कलगांव					
7	253	निजी	एग्रिकल्चर	0.03 (हेक्टेयर)	0.0300000
गांव का नाम: बासंबा					
8	658	निजी	एग्रीकल्चर	0.023 (हेक्टेयर)	0.0230000
9	659	निजी	एग्रिकल्चर	0.0333 (हेक्टेयर)	0.0333000
10	78 अ	निजी	एग्रीकल्चर	0.0006 (हेक्टेयर)	0.0006000
11	78 ब	निजी	एग्रीकल्चर	0.0006 (हेक्टेयर)	0.0006000
12	78 क	निजी	एग्रीकल्चर	0.0006 (हेक्टेयर)	0.0006000
गांव का नाम: सावा					
13	119	निजी	एग्रिकल्चर	0.0125 (हेक्टेयर)	0.0125000
14	120	निजी	एग्रिकल्चर	0.04 (हेक्टेयर)	0.0400000

गांव का नाम: सावरखेड़ा					
15	15	निजी	एग्रिकल्चर	0.06 (हेक्टेयर)	0.0600000
गांव का नाम: खानापुर चिता					
16	113	निजी	एग्रीकल्चर	0.0163 (हेक्टेयर)	0.0163000
				कुल योग	**0.4574**

[फा. सं. NHAI/PIU/Ned/LA/NH-161/2016/3A]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2024

S.O 1405(E). – In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH161 (New) including bypasses in the stretch of land from Km 99.100 to Km. 139.600 (Kanergaon Naka- Hiwerabel Section) in the district of HINGOLI in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-Divisional officer & Land acquisition officer, Hingoli in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 99.100 to Km. 139.600 (Kanergaon Naka - Hiwerabel Section) National Highway No.161 in the district of HINGOLI in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			**District:** HINGOLI		
Sl. No. 1	**Survey/Plot Number 2**	**Type of Land 3**	**Nature of Land 4**	**Area (in Local Unit) 5**	**Area (in Hectares) 6**
Taluk: Hingoli					
Village: Mop					
1	140	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.0900000
Village: Kanergaon Naka					
2	184	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.0400000
Village: Falegaon					

3	144	Private	Agriculture	0.0175 (Hectare)	0.0175000
4	203	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.0100000
5	206	Private	Agriculture	0.033 (Hectare)	0.0330000
6	211	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.0500000
Village: Kalgaon					
7	253	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.0300000
Village: Basamba					
8	658	Private	Agriculture	0.023 (Hectare)	0.0230000
9	659	Private	Agriculture	0.0333 (Hectare)	0.0333000
10	78 A	Private	Agriculture	0.0006 (Hectare)	0.0006000
11	78 B	Private	Agriculture	0.0006 (Hectare)	0.0006000
12	78 C	Private	Agriculture	0.0006 (Hectare)	0.0006000
Village: Sawa					
13	119	Private	Agriculture	0.0125 (Hectare)	0.0125000
14	120	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.0400000
Village: â€‹Sawarkheda					
15	15	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.0600000
Village: Khanapur Chitta					
16	113	Private	Agriculture	0.0163 (Hectare)	0.0163000
				Total	**0.4574**

[F. No NHAI/PIU/Ned/LA/NH-161/2016/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.03.19 19:09:02 +05'30'